आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
10.07.14	**न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता,अरवल** **अतिक्रमण वाद संख्या 01/11** **नन्द किशोर शर्मा वनाम् लुटन मिस्त्री एवं अन्य** **आदेश** आवेदक नन्द किशोर शर्मा पिता श्री तपेश्वर सिंह साकिन खेमकरण सराय थाना कुर्था जिला अरवल ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से वाद दायर कर सूचित किया है कि पुराना सर्वे प्लॉट संख्या 447 आम गैरमजरूआ सड़क चार्ट की भूमि है,जो किंजर--कुर्था सड़क पर खेमकरण सराय ग्राम में पथ के सटे पूरब अवस्थित है। उक्त सर्वे प्लॉट से सटे पूरब आवेदक की खतियानी भूमि जिसका खाता नं० 62 प्लॉट नं० 240 रकवा $18\frac{1}{2}$ डी० है। विपक्षीगण उक्त सरकारी जमीन में आवेदक के भूमि के सामने मिट्टी का दीवार खड़ा कर फुस की झोपड़ी बना दिये है। अतः विवादित सरकारी भूमि को अतिकमण से मुक्त किया जाय। आवेदक के आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी कुर्था से प्रतिवेदन की मॉग की गई। अंचल अधिकारी कुर्था ने विवादित भूमि का नापी कराकर नापी प्रतिवेदन भेजा है। अंचल अमीन ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदक के प्लॉट के जानिब पश्चिम प्लॉट संख्या 243,जो खतियान में आम रास्ता है,में लूटन मिस्त्री पिता स्व० शिवलाल मिस्त्री के द्वारा 24 फीट × 30 फीट = 1.652 डी० एवं रामपृत सिंह पिता स्व० जेहल महतो के द्वारा 33 फीट × 38 फीट = 2.878 डी० में पूर्व से मकान बनाकर रह रहे है। इन दोंनों मकानों के बीचों बीच प्लॉट नं० 245 में जाने के लिए गली था,जो वर्तमान समय में बंद कर दिया गया है। विपक्षीगण वाद में उपस्थित हुए,परन्तु उनके द्वारा न तो कोई जबाब दाखिल किया गया और ना हीं बहस में हिस्सा लिया गया। आवेदक ने प्लॉट नं० 447 पर अतिकमण वाद लाया था जबकि अंचल अमीन ने प्लॉट नं० 243,पर विपक्षीगण का मकान के रूप में अतिकमण पाया गया है। प्लॉट नं० 243 सर्वे खतियान में गैरमजरूआ मजकूर छौर है। मेरे	

द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। विपक्षीगण का मकान किंजर कुर्था रोड में खेमकरण सराय ग्राम में सड़क से सटे पूरब है। विपक्षीगण के मकान से उक्त किंजर कुर्था पथ में किसी भी प्रकार का कोई अवरोध नही है। आवेदक का जमीन जो खेती योग्य है विपक्षीगण के मकान के पूरब सटे है। वर्तमान में आवेदक को अपने खेत से मुख्य मार्ग पर जाने के लिए एक अन्य व्यक्ति के खेत से होकर जाना पड़ता है। स्थल पर विपक्षीगण के द्वारा अतिक्रमण वाद संख्या 02/1963–64 में पारित आदेश की छाया प्रति दी गई। उक्त अतिक्रमणवाद विपक्षी लूटन मिस्त्री के पिता स्व० शिवलाल मिस्त्री के विरूद्ध था और विवादित भूमि खाता 174 प्लॉट नं० 243 प्रश्नगत भूमि है।

जब विपक्षीगण का अस्तित्व विवादित भूमि प्लॉट नं० 243 पर वर्ष 1963–1964 के पूर्व से है,तो वर्तमान में उन्हें उक्त भूमि से हटाया नहीं जा सकता है,वाद को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

10.07

भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।

10.07

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।